राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404

Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक–न्याय/2018/4307

दिनांकः 20.12.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला/18/39810–11 दिनांक 12.12.2018 से पुलिस थाना खानपुर के अभियोग सं0 419/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त ओम उर्फ ओमप्रकाश सोंलकी पिता प्रभूलाल जाति मेवाडा लुहार उम्र 32 साल निवासी नई बस्ती अकलेरा, थाना अकलेरा जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.18 को श्री बलवान सिंह हैड कानि0 791 मय जाप्ता वास्ते गश्त ईलाका व चैकिग अवैध कार्य की रोकथाग हेतु बारापाटी अटरू रोड पहुंचकर नाकांबदी प्रारम्भ की। दौराने नाकाबंदी अटरू बांरा की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाईकिल चलाता हुआ नजर आया जो पुलिस जाप्ते को बावर्दी देखकर भागने लगा, जिसको हमराही जाप्ते की मदद से रोका, नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम ओम उर्फ ओमप्रकाश सोंलकी पिता प्रभूलाल जाति मेवाडा लुहार उम्र 32 साल निवासी नई बस्ती अकलेरा, थाना अकलेरा जिला झालावाड बताया। जिसके पास अवैध वस्तु होने का संदेह होने पर तलाशी ली तो पहनी हुई पेंन्ट के सामने कमर मे एक देशी कटटा 315 बोर लोहे का मिला, जिसको अपने कब्जे मे रखना या परिवहन करने के संबध मे अनुज्ञापत्र चाहा तो नही होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध स0 419/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्व किये गये। अनसुंधान से अभियुक्त के विरूद्व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया । उक्त जप्तशुदा एक देशी कटटा का आर्मोरर पुलिस लाईन द्वारा मेकेनिकल मुआयना करवाये जाने पर उन्होने अपनी रिपोर्ट मे एक देशी कटटा 315 बोर लोहे का फायर करने योग्य तथा फायर आर्म्स की जद मे आना बताया। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र मारू एसआई व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड एक देशी कटटा को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 गें प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त ओम उर्फ ओमप्रकाश सोंलकी पिता प्रभूलाल जाति मेवाडा लुहार उम्र 32 साल निवासी नई बस्ती अकलेरा, थाना अकलेरा जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड